# ायालय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

ार्थना पत्र संख्याः– 03 / 112 / 2024 ऑनलाईन नम्बरः–2024 / 546 प्रवेश तिथिः–24.09.2024

1. पटवारी हल्का अलेई जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. कैलाशसिंह पुत्र लीचीसिंह जाति राजपुत निवासी गढ तहसील रैणी जिला अलवर।
2. धन्नालाल पुत्र बिरदाराम जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. मूली पत्नी ख्याली जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. रामप्रसाद पुत्र रेवडराम जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर मृतक जरिये वारिसान–

   4/1. मंगली देवी पत्नी रामप्रसाद जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

   4/2. प्रकाश चन्द पुत्र रामप्रसाद जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

   4/3. मोतीलाल पुत्र रामप्रसाद जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

   4/4. हीरालाल पुत्र रामप्रसाद मृतक जरिये वारीसान

      4/4/1. प्रेमदेवी पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

      4/4/2. नरेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

   4/5. मन्जू देवी पुत्री रामप्रसाद जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

   4/6. गीता देवी पुत्री रामप्रसाद जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

   4/7. भगवती पुत्री रामप्रसाद जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।
5. रामोती पुत्र बिरदाराम जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर।

............अप्रार्थीगण

...........अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित– तहसीलदार राजगढ–प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

–:निर्णयः–

दिनांक 02 / 01 / 2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता 122 संख्या खसरा संख्या 32 / 0.20, 35 / 0.19 हे0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से मिटटी खेत से उठाकर रास्ते के उदेश्य कर जमीन को खर्दु-बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखारागत दिनांक 24.09.2024 को

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित हाल आराजी खाता 122 संख्या खसरा संख्या 32/0.20, 35/0.19 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवैध रूप से लॉटिंग का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। बिना सक्षम स्वीकृति के ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ के आराजी खसरा संख्या हाल आराजी खाता 122 संख्या खसरा संख्या 32/0.20, 35/0.19 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर पर मिटटी उठाकर रास्ता तैयार कर प्लॉटिंग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि रामपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल करने व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। अप्रार्थी संख्या 4/1 लगायत 4/7 व 5 वाद सुचना तामील उपस्थित न्यायालय नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की और जवाब पेश किया गया जो शामिल मिशल है। जो निम्नानुसार है--

1. प्रार्थना पत्र में अंकित हाल आराजी खाता 122 संख्या खसरा संख्या 32/0.20, 35/0.19 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी में कोई प्लाटस कायम नही किये है। न ही कोई मकान निर्माण कार्य किया गया है। श्रीमान के स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण के खातेदारी पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। जिससे अप्रार्थीगण अपनी आराजी को रहन रख कर लोन लेने में भी समस्या आ रही है। यदि किसी भी प्रकार का प्लास्टस का कार्य किया जाता है। तो भूमि रूपांतरण हेतु पत्रावली सक्षम अधिकारी के सक्षम पेश कर नियमानुसार भूमि रूपान्तरण करवाकर ही निर्माण कार्य करेंगें। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. तहसीलदार राजगढ से इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2024/2032 दिनांक 13.11.2024 से रिपोर्ट प्राप्त कि गई जो मिशल होकर इस प्रकार से है। कि मुताबिक जमावन्दी ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 122 खसरा संख्या खसरा संख्या 32/0.20, 35/0.19 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर कैलाशसिंह पुत्र लीचीसिंह हिस्सा 1/6, जाति राजपुत, धन्नालाल पुत्र बिरदाराम हिस्सा 1/4, मुली पत्नी ख्याली हिस्सा 1/6, रामप्रसाद पुत्र रेवडराम हिस्सा 1/6, रामोती पुत्री बिरदाराम हिस्सा 1/4 जातियान माली सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें मौके पर खसरा संख्या 32, 35 में बनी हुई कच्ची राडक व शेष हिस्से में जोत लाई हुई है।

4. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. बहस अप्रार्थीगण की सुनी गई। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यो को मात्र दोहराया गया।

6. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2024/2032 दिनांक 13.11.2024 से यह स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित खाता संख्या 122 खसरा संख्या खसरा संख्या 32/0.20, 35/0.19 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। कि मौके पर आराजी खसरा संख्या 32, 35 खेत पर जोत लगा रखी है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर जोत लगाकर कृषि कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला--अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

पटवार हल्का अलेई जरिये तहसीलदार राजगढ़ बनाम कैलाश सिंह वगै।

मुकदमा संख्या 03/112/2024

निर्णय दिनांक 02/01/2025

वेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का प्लाटिंग कार्य कर कृषि भूमि की अकृषि भूमि में परिवर्तन नही किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः–

*आदेश है कि*

*प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ का प्रार्थना पत्र* खाता संख्या 122 खसरा *संख्या खसरा संख्या 32/0.20, 35/0.19 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ़ जिला अलवर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।*

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 23/12/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते